



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण 1942 (श०)

(सं० पटना ७१४) पटना बुधवार 25 नवम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

25 नवम्बर 2020

एस० ओ० 188 दिनांक 25 नवम्बर 2020—बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 46 के छठे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 111, दिनांक 06 मई, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 268, दिनांक 06 मई, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में-

- (i) पहले अनुच्छेद में, “एक वित्तीय वर्ष” शब्दों के स्थान पर “2017-18 से किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष” अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (ii) दूसरे अनुच्छेद में, “1 अक्टूबर, 2020” अंकों और शब्दों के स्थान पर “1 दिसम्बर, 2020” अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(सं०सं बिक्री-कर / जीएसटी / विविध-२१ / २०१७ (खंड-११) २१२६)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

25 नवम्बर 2020

एस० ओ० 188, दिनांक 25 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं०सं बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017 (खंड—11) 2126)]
बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 25th November 2020

S.O. 188, Dated 25th November 2020—In exercise of the powers conferred by sixth proviso to rule 46 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 111, dated the 06th May, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 268, dated the 06th May, 2020, namely:—

In the said notification,—

- (i) in the first paragraph, for the words “a financial year”, the words and figures “any preceding financial year from 2017-18 onwards” shall be substituted;
- (ii) in the second paragraph, for the figures, letters and words “1stday of October, 2020”, the figures, letters and words“1stday of December, 2020” shall be substituted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-11) 2126)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 914-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>